

आ.व. २०७८/०७९ को जिल्ला दररेट

निर्णय नं. १

आ.व. २०७८/०७९ को लागी निर्माण सामाग्रीको दररेट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस जिल्ला भन्दा अन्यत्र जिल्लाहरुबाट आयत गर्नु पर्ने निर्माण सामाग्रीहरु स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हकमा कैलाली जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिबाट निर्धारित आ. व. २०७८/०७९ को दररेटमा ढुवानी रकम जोडी निर्माण सामाग्रीको मुल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो र हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हकमा सुर्खेत, कैलाली र बाँकेको आ. व. २०७८/०७९ को जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सम्बन्धित जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटमा निर्माण सामाग्री नपाईने अवस्थामा निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उत्पादक कम्पनी तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. वा अन्य अधिकृत विक्रेता डिलर वा निर्धारित दररेटमा ढुवानी रकम जोडी निर्माण सामाग्रीको मुल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २)

बडिमालिका मुल मन्दिर क्षेत्र, त्रिवेणी पाटन र बुढीनन्दा मुल मन्दिर क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा जिल्लाको निर्धारित दररेटमा ५० प्रतिशत थप गर्ने, खप्तड क्षेत्रमा निर्माण कार्य गराउदा ४० प्रतिशत थप गरि दररेट कायम गर्ने साथै साबिक बिच्छ्या गा.वि.स. हाल हिमालि गा.पा १, २ र ३ वडाहरु, साबिक दहकोटको अन्द्राणीमा ४० प्रतिशत र बडिमालिका नगरपालिका वडा नं. ७ को कालाजग्रा क्षेत्रमा २० प्रतिशत ढुवानी भाडा जोडी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३)

यस जिल्लामा आ.व. २०७८/०७९ का लागी ज्याला दररेट र ढुवानी तथा स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट तल दिएको तालिकामा देखाए बमोजिम हुने गरि दररेट निर्धारण गरियो ।

तालिका (क) श्रमिकको ज्याला निर्धारण :-

| सि.नं. | विवरण | इकाई | दर रेट | | कैफियत |
|--------|--|------|----------------------|----------------------|--------|
| | | | आ.व. २०७७/०७८ | आ.व. २०७८/०७९ | |
| १ | इन्जिनियर | जना | विभागिय नमर्स अनुसार | विभागिय नमर्स अनुसार | |
| २ | सब. इन्जिनियर | " | विभागिय नमर्स अनुसार | विभागिय नमर्स अनुसार | |
| ३ | अ. सब. इन्जिनियर | " | विभागिय नमर्स अनुसार | विभागिय नमर्स अनुसार | |
| ४ | अभिन | " | विभागिय नमर्स अनुसार | विभागिय नमर्स अनुसार | |
| ५ | अदक्ष ज्यामी | " | ८२५ | ८५० | |
| ६ | ज्यामी नाइके | " | ८३५ | ८६० | |
| ७ | सिकर्मी डकर्मी दक्ष कामदार | " | ११०० | ११५० | |
| ८ | पलम्बर सुपरभाइजर | " | ११०० | ११५० | |
| ९ | टेक्सिसियन हेल्पर | " | ८२५ | ८५० | |
| १० | चौकिदार | " | ६०० | ६५० | |
| ११ | डिलर | " | ११५५ | १२०० | |
| १२ | स्टोन कटर | " | ७१० | ७५० | |
| १३ | माईन लेवर | " | ११५५ | १२०० | |
| १४ | क्याम्प वर्कर | " | ६०० | ६५० | |
| १५ | विजुली पोल खडा गर्ने ज्यामी | " | ८२५ | ८५० | |
| १६ | विजुलीको तार तान्ने तथा टेलिफोनको टावरमा काम गर्ने | " | ८२५ | ८५० | |

| ज्यामी | | | | |
|--------|---|--|------|------|
| १७ | विजुलीको लाईनमा काम गर्ने ईलेक्ट्रीसियन, बिधुतिय उपकरण मर्मत गर्ने कालिगड | | ११०० | ११५० |
| १८ | विजुलीको लाईनमा काम गर्ने दक्ष हेल्पर | | ९३० | ९७५ |
| १९ | लेन्थ वर्कर | | ६६० | ७०० |
| २० | टेप, चेनमेन, जन्जीरदार, | | ८२५ | ८५० |
| २१ | पेन्टर | | ११०० | ११५० |
| २२ | स्टाप मेन | | ८२५ | ८५० |
| २३ | सर्भे हेल्पर | | ८२५ | ८५० |
| २४ | पोटर, Porter / camp worker | | ८२५ | ८५० |
| २५ | डोजर अपरेटर प्रति घन्टा | | ३०० | ३२५ |
| २६ | डोजर हेल्पर प्रति घन्टा | | १५० | १७० |
| २७ | कृषि मजदुर | | | |
| क | खन्ने, जोत्ने, बोक्ने | | ६५० | ७०० |
| ख | रोप्ने, गोड्ने, र काट्ने | | ६४० | ६८५ |

तालीका (ख) स्थानीय सामाग्री संकलन तथा ढुवानी दररेट रोयल्टी सहित निम्नानुसार प्रति घ.मि. मा कायम गरियो।

| सि.नं. | विवरण | इकाई | दररेट | | | | कैफियत |
|--------|-----------------------------------|-------------|--|-------------------------------|--|---|--------|
| | | | आ.व. २०७७/०७८ | | आ.व. २०७८/०७९ | | |
| | | | संकलन र १० मी.सम्म ढुवानी | १ कि.मी. सम्म ढुवानी | संकलन, १० मी.सम्म ढुवानी र रोयल्टी सहित | १ कि.मी. सम्म ढुवानी | |
| १ | बालुवा ढुवानी ३०/५० खानी क्षमता | प्रति घ.मी. | सम्बन्धित कार्यालयको बिभागीय नर्मश अनुसार हुने छ | | सम्बन्धित कार्यालयको बिभागीय नर्मश अनुसार हुने छ | सदर मुकाम भन्दा बाहिर बिभागीय नर्मश अनुसार नबढ्ने गरि गरिने छ | |
| २ | फोरुवा ढुङ्गा | घ.मी. | | | | | |
| ३ | टिपुवा ढुङ्गा | घ.मी. | | | | | |
| ४ | (क) गिट्टी २०-४० मी.मी. साईज | घ.मी. | | | | | |
| | (ख) १०-२० मी.मी. साईज | घ.मी. | | | | | |
| | (ग) ५-१० मी.मी. साईज | घ.मी. | | | | | |
| ५ | आराले चिरेको काठ बांफ टुनी आदि | घ.फी. | १००० | ४३ | १००० | ४३ | |
| ६ | बन्चरोले चिरेको बांफ, टुनी आदि | घ.फी. | ५०० | ४३ | ५०० | ४३ | |
| ७ | आराले चिरेको सल्लो उत्तीस आदि | घ.फी. | ७०० | ४३ | ७०० | ४३ | |
| ८ | बन्चरोले चिरेको सल्लो, उत्तीस आदि | घ.फी. | ४०० | ४३ | ४०० | ४३ | |
| ९ | रुख छपान तथा कटान मुछान | | | | | | |
| १ | नम्बरिड छपान | प्रति रुख | २० | | २० | | |
| २ | काठ सेक्सनिड मानिसबाट | घन फिट | ७ | | ७ | | |
| ३ | काठ सेक्सनिड मसिनबाट | घन फिट | २ | | २ | | |
| ४ | कटान मुछान | घन फिट | ३१ | ३१ | ३१ | | |
| ५ | गोलिया काठ नम्बरिड तथा नाप पैमाईस | घन फिट | २२ | २२ | २२ | | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "अधिकारी" (Officer).

आ.व. २०६८/०६९ को जिल्ला दररेट

| | | | | | | |
|----|---|------------|-------|--|-------|--|
| ६ | याल्डीड | | | | | |
| ७ | भिरालो पहाडि भागमा | घन फिट | १०० | | १०० | |
| ८ | बोक्रा भिकने | घन फिट | १० | | १० | |
| ९ | गोलिया काठ दुवानी घाट गद्दी सम्म | | | | | |
| | क) ०-२ कि.मि. सम्म | घन फिट | २२ | | २२ | |
| | ख) २-४ कि.मि. सम्म | घन फिट | २६ | | २६ | |
| | ग) ४-६ कि.मि. सम्म | घन फिट | २७ | | २७ | |
| | घ) ६-१० कि.मि. सम्म | घन फिट | २८ | | २८ | |
| | ड) १०-१५ कि.मि. सम्म | घन फिट | ३७ | | ३७ | |
| १० | काठ लोड अनलोड (गोलिया) | घन फिट | १६ | | १६ | |
| ११ | पाईलिड गर्ने (गोलिया) | घन फिट | १५ | | १५ | |
| १२ | सामुदायिक वनको वन कार्ययोजना तयारी नविकरण | प्रति समूह | ३०००० | | ३०००० | |

तालीका (ग) स्थानीय सामग्रीहरूको दररेट निम्नानुसार कायम गरियो ।

| सि.नं. | विवरण | इकाई | दर रेट | | कैफियत |
|--------|---|---------|---------------|---------------|--------|
| | | | आ.व. २०७७/०७८ | आ.व. २०७८/०७९ | |
| १ | माटो | घ.मी. | ११० | ११० | |
| २ | स्लेट :- हाप ईन्च देखि १ इन्च सम्मको लागी | व.मी. | ३३० | ३६३ | |
| ३ | ५० मी.मी. बाक्लो विच्छयाउने ढुङ्गा | व.मी. | २०५ | २२० | |
| ४ | २५, मी.मी. बाक्लो विच्छयाउने ढुङ्गा | व.मी. | २०५ | २२० | |
| ५ | चिरपट | व.मी. | १६० | १७६ | |
| ६ | सल्लाको काठ फल्याक १ व.मी. | व.मी. | ३९५ | ४३५ | |
| ७ | बांस | गोटा | ३३० | ३६३ | |
| ८ | खर | वन्डल | ३० | ३३ | |
| ९ | स्थानीय (वावीयो) | के.जी. | ५० | ५५ | |
| १० | मान्द्रो निगालाको | र.मी. | २२५ | २४० | |
| ११ | भुस | के.जी. | २५ | २८ | |
| १२ | गोवर | के.जी. | ७ | ८ | |
| १३ | डोको | | | | |
| | (क) सानो | गोटा | १५० | १६५ | |
| | (ख) मझौला | " | २०० | २२० | |
| | (ग) ठुलो | " | २५० | २७५ | |
| | (घ) सिमे डोको | " | ४०० | ४४० | |
| १४ | गोठेमल | प्र.के. | २.५० | ४ | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "गोपाल कुमार अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी".

निर्णय नं. ४) नून, लता, कपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी दररेट निर्णय नं. २ अनुसार कायम गरिएको छ ।

निर्णय नं. ५) सजिलो सामान ढुवानी गर्दा हिउदको लागि प्रति कोष प्रति के.जी रु २.७५ र वर्षायामका लागि प्रति कोष प्रति के.जी रु ३ कायम गरिएको छ । त्यसै गरि सजिलो सामान खच्चरद्वारा ढुवानी गर्दा हिउदको लागि प्रति कोष प्रति के.जि. रु. १.२० र वर्षायामका लागि प्रति कोष प्रति के.जि. रु १.५५ कायम गरिएको छ ।

निर्णय नं. ६) पाईप ढुवानीको लागि ५० मी.मी. सम्म २.०० र ६३ मी.मी. देखि ५०० मी.मी. सम्मका लागि ३.०० कोफिसेन्ट कायम गरियो ।


निर्णय नं.७) विजुलीको केवल (लट्ठा) तथा टेलीफोन टावर,सोलार ब्याट्री तथा अन्य सामानको कोफिसेन्ट २.०० कायम गरिएको छ ।

निर्णय नं.८) अष्टयारो सामान जस्तै :- १ मिटर भन्दा बढी भएको फलामे सामान, शिशा, ऐना, घरको भ्याल रिवाल्व चियर, टेबल, कूर्चि, सोफा सेट, औषधिका पेटी, बोटविरुवा, जस्तापाता, पाईप, ग्यावीन, तार इत्यादीको कोफिसेन्ट १.५० कायम गरिएको छ । साथै १३ मी.मि.देखि २६ सम्मको १.७५ र ३२ मी.मी. देखि ४० मी.मी. सम्मको पुलको लट्ठा र पोलीपोटमा रहेका विरुवा, ज्यानेरेटर, टेलिफोनका पोल, सोलार ब्याट्री, टावरका खम्बाहरु, टावरका रडहरु, टावरका प्लेटहरु, ट्रन्स्मीटर, रेक्टिफायर, विटिएस, रेडीयो, एन्टीना जस्ता सामग्री ढुवानी गर्न कोफिसेन्ट २.५० कायम गरिएको छ । त्यसै गरि १६ फिट भन्दा लामो र ७० के.जी. भन्दा कम तौलको विजुलीको पोलको कोफिसेन्ट २.५० कायम गरिएको छ । १६ फिट भन्दा लामो र ७० के.जि. भन्दा बढी तौल भएको विजुलीको पोलको कोफिसेन्ट ४.०० कायम गरिएको छ ।

निर्णय नं.९) निर्माण समाग्री लगायतका विविध वस्तुहरूको हवाईजहाज मार्फत ढुवानी गर्नु पर्दा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तोकेको दररेट लाई नै प्रयोग गर्ने गरि निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १०) हेलिकेप्टर मार्फत निर्माण सामाग्री लगायतका विविध वस्तुहरु ढुवानी गर्नु पर्दा लोड अनलोड वाहेक नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तोकेको दररेट लाई नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ११) कालोपत्रे (पक्की) सडकमा ट्रक वा ट्याक्टरबाट ढुवानी गर्दा जिल्ला वाहीर ढुवानी गर्दा प्रति के.जि. प्रति कि.मी. ०.०२३ साथै जिल्ला भित्रको छोटो दुरिमा ढुवानी गर्दा प्रति के.जि. प्रति कि.मि. रु. ०.०५५ र ग्राभेल/धुले (कच्ची) सडकमा ट्रक वा ट्याक्टरबाट ढुवानी गर्दा प्रति के.जि. प्रति कि.मि. रु.०.२६ कायम गरियो । त्यसै गरि मार्तडी देखि कोल्टी तथा अन्य शाखा कच्ची सडकमा ट्याक्टरबाट ढुवानी गर्दा प्रति के.जि.प्रति कि.मी. रु. ०.३१ कायम गरियो । साथै बिधुतको ट्रान्सफर्मर,पेनेल जेनेरेटर कालोपत्रे (पक्की) सडकमा ट्रक वा ट्याक्टरबाट ढुवानी गर्दा जिल्ला वाहीर ढुवानी गर्दा प्रति के.जि. प्रति कि.मी. ०.०५५ कायम गर्ने निर्णय गरियो ।


 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 बाजुरा



आ.वं.२०६८/०६९ को जिल्ला दररेट

निर्णय नं. १२) हवाई मार्गद्वारा विमानस्थलमा उपलब्ध हुने खाद्यान्न विमानस्थल देखि खाद्य गोदाम सम्म प्रति क्वीन्टल रु.१००/- ढुवानी कायम गरिएको छ ।

निर्णय नं. १३) आ.व. २०७७/०७८ का लागि एक्साभेटर लगायतका इक्विपमेण्ट प्रयोग गर्दा सडक विभागको दररेट प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।


निर्णय नं. १४) सजिलो सामानको लोड/अनलोडका लागी प्रति क्वीन्टल रु.२४१/- र असजिलो सामानको लोड/अनलोडका लागी प्रति क्वीन्टल रु. ३११- कायम गरियो । साथै बिधुतको पोल ट्रान्सफर्मर र अन्य बिधुत सामानको लोड/अनलोडका लागी प्रति क्वीन्टल रु.११०/- कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १५) मार्तडी बजार भित्र भरीयाद्वारा सामान ढुवानी गर्दा प्रति के.जि. प्रति कि.मि. रु. २.७५ कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १६) घरको मुल्यांकन गर्दा निम्नानुसारको घरको बर्गिकरणको आधारमा देहाय बमोजिमको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

| सि.न | घरको बर्गिकरण तथा विवरण | घरको मुल्यांकन दर आ.व. २०७७/०७८ | | | घरको मुल्यांकन दर आ.व. २०७८/०७९ | | |
|------|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | भुई तला प्रति व.मि. | पहिलो तला प्रति व.मि | दोश्रो तला प्रति व.मि | भुई तला प्रति व.मि | पहिलो तला प्रति व.मि | दोश्रो तला प्रति व.मि |
| (क) | आर.सि.सि. पिलर सिमेन्टको जोडाई ,ढुङ्गाको/ईटा गारो आर.सि.सि छत रंग रोगन भएको मार्बल राखेको पक्की घर | ३९९३० | ३१४६० | ३१४६० | ३९९३० | ३१४६० | ३१४६० |
| (ख) | आर.सि.सि.पिलर माटो को जोडाई ढुङ्गाको/ईटा को गारो सिमेन्टको प्लाष्टर आ.सि.सि. छत रंग रोगन लगाएको पक्की घर | २९०४० | १९९०० | २४००० | २९०४० | १९९०० | १९९०० |
| (ग) | माटोको जोडाईमा ढुङ्गाको/ईटाको गाह्रो सिमेन्ट प्लाष्टर टिनको छाना भएको | १३००० | ८००० | १२००० | १३००० | ८००० | ८००० |
| (घ) | माटोको जोडाईमा ढुङ्गाको/ईटाको गाह्रो सिमेन्ट प्लाष्टर र स्लेटको छाना भएको घर | १३५०० | ८४०० | १२३०० | १३५०० | ८४०० | ८४०० |
| (ङ) | माटोको जोडाईमा ढुङ्गाको/ईटाको गाह्रो सिमेन्ट प्लाष्टर आर.सि.सि. छत भएको घर | १४५०० | ८९०० | १३००० | १४५०० | ८९०० | ८९०० |
| (च) | ढुङ्गाको/ईटाको गाह्रो माटोको जोडाईमा टिनको छाना र माटोको प्लाष्टर भएको घर | ५८०० | ३६०० | ५००० | ५८०० | ३६०० | ३६०० |
| (छ) | ढुङ्गाको/ईटाको गाह्रो माटोको जोडाईमा स्लेटको छाना र माटोको प्लाष्टर भएको घर | ६४०० | ३९०० | ५६०० | ६४०० | ३९०० | ३९०० |
| (ज) | ढुङ्गाको/ईटाको गाह्रो माटोको जोडाईमा खरको छाना र माटोको प्लाष्टर भएको घर | ५००० | ३१०० | ५२०० | ५००० | ३१०० | ३१०० |
| (झ) | ढुङ्गाको/ईटाको गाह्रो माटोको जोडाईमा माटोको छाना र माटोको प्लाष्टर भएको घर | ५००० | ३१०० | ५२०० | ५००० | ३१०० | ३१०० |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp of the District Administration, Martadi Bazaar.



आ.वं. २०७८/०६९ को जिल्ला दररेट

निर्णय नं. १७) व्यापारीक तथा अन्य प्रयोजनको लागि निम्न अनुसारको जग्गाको वर्गिकरण गरि देहायको आधारमा देहाय बमोजिमको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

| सि.नं. | जग्गाको वर्गिकरण तथा विवरण | आ.व. २०७७/०७८ प्रति व.मि. प्रति महिना | आ.व. २०७८/०७९ प्रति व.मि. प्रति महिना |
|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| १ | सडकले छोएको खाली जग्गा भाडामा लिने दिन | ३० | ३० |
| २ | भित्री बाटोले छोएको खाली जग्गा भाडामा लिने दिने | २० | २० |
| ३ | बाटोले नछोएको खाली जग्गा भाडामा लिने दिने | १० | १० |
| ४ | कृषि कार्यका लागि जग्गा भाडामा लिदा लाभ र लागतका आधारमा दर रेट कायम गरिनेछ । | | |

निर्णय नं. १८) विद्युत वाईरिङ्गको लागी निम्नानुसारको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

| सि.नं. | वाईरिङ्गको वर्गिकरण तथा विवरण | ईकाई | आ.व. २०७७/०७८ | २०७८/०७९ |
|--------|--|----------|---------------|----------|
| क | पि.भि.सि. पाईप प्रयोग गरि सर्भेस वाईरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स स्वीच,स्वीच बोर्ड सिलिङ्गरोज आवश्यकता अनुसार ३ /२२ र ३/२० को NS कपर तार आदी वायरिङ्ग सामान समेत प्रयोग गरि वायरिङ्गको काम | प्वाइन्ट | ११५० | ११५० |
| ख | सर्भेस वाईरिङ्ग गर्नु सामाग्री बाहेक | प्वाइन्ट | ६० | ६० |
| ग | पि.भि.सी. पाईप प्रयोग गरि कन्सल्टेड वाईरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, स्वीचबोर्ड, सिलिङ्ग रोज आवश्यकता अनुसार ३ / २२ र ३/२० को एन एस कपर तार आदी वायरिङ्ग सामान समेत प्रयोग गरि वायरिङ्गको काम । | प्वाइन्ट | १२१० | १२१० |
| घ | कन्सल्टेड वाईरिङ्ग गर्ने सामाग्री बाहेक | प्वाइन्ट | ९० | ९० |
| ड | अर्थिङ्ग तामाको रड क्वायल ,नुन खाल्डो खन्ने पर्नु आदी पुने सामाग्री बाहेक | सेट | ६०० | ६०० |

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A blue stamp on the right side reads "मोहान कुमार अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी".



आ.व. २०७८/०७९ को जिल्ला दररेट

निर्णय नं. १९) ईन्जिनियरिङ्ग सेवाको दररेट

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व.०७७/०७८ को | आ.व.०७८/०७९ को | कैफियत |
|--------|------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| १ | डिजाईन तथा नक्सा तयार पार्न | ब.मि. | | | |
| क. | कम्प्युटर प्रयोग नगरेर | | २३० | २३० | |
| ख. | कम्प्युटर प्रयोग गरेर | ब.मि. | | | |
| | 2D नक्सा | ब.मि. | ३३० | ३३० | |
| | 3D नक्सा | ब.मि. | ४०० | ४०० | |
| | मोडलिङ्ग गरेको नक्सा | | | | |
| २ | लागत अनुमान तयार पार्ने | | | | |
| क. | कम्प्युटर प्रयोग गरेर | ब.मी | | | |
| | रु. पाचलाख सम्म | थप रकमको | १०७०० | १०७०० | |
| | रु. पाचलाख देखि दश लाखसम्म | थप रकमको | १% ले जोड्ने | १% ले जोड्ने | |
| | रु. दशलाख देखि पचिस लाखसम्म | थप रकमको | ०.७५%ले जोड्ने | ०.७५%ले जोड्ने | |
| | रु. २५लाख देखि पचास लाख सम्म | थप रकमको | ०.५% ले जोड्ने | ०.५% ले जोड्ने | |
| | पचास लाख देखि एक करोड सम्म | थप रकमको | ०.३% ले जोड्ने | ०.३% ले जोड्ने | |
| | रु. एक करोड भन्दा माथि | | ०.२% ले जोड्ने | ०.२% ले जोड्ने | |
| ख. | कम्प्युटर प्रयोग गरेर | | उपरोक्त दरहरुमा ५% ले थप्ने | उपरोक्त दरहरुमा ५% ले थप्ने | |
| ३ | अचल सम्पतीको मुल्याङ्कन | | प्रकरण नं. २ अनुसार गर्ने | प्रकरण नं. २ अनुसार गर्ने | |

निर्णय नं. २०) घरभाडा तर्फ

क. सदरमुकाम भित्र

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व.०७७/७८ को | आ.व.०७८/७९ को | कैफियत |
|--------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| १ | माटो जोडाई खरको छाना भएको घर | प्रति व.मी. | १२० | १२० | |
| २ | स्लेटको /जस्तापाताको छाना भएको घर | | १५० | १५० | |
| ३ | पक्क घर | | १९० | १९० | |

ख) सदरमुकाम भन्दा बाहिर

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व.०७७/७८को | आ.व.०७८/७९ को | कैफियत |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| १ | माटो जोडाई खरको छाना भएको घर | प्रति व.मी. | १०० | १०० | |
| २ | स्लेटको /जस्तापाताको छाना भएको घर | | १३० | १३० | |
| ३ | पक्क घर | | १५० | १५० | |


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp of the District Office, Martadi, Bajura.

आ वं २०६८/०६९ को भिल्ला दररेट

पुनश्च न्यूनतम आवश्यकता बाहेकका थप सुविधाहरु जस्तै कम्पाउण्डवाल, पार्किङ तथा हरियाली आदि भएको घरको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा १५% सम्म थप गरि दररेट कायम गर्ने ।

गोदाम प्रयोजनका लागि घर भाडामा लिनु परेमा माथि उल्लेखित दररेटमा १५% सम्म कमगरी दररेट कायम गर्ने ।
 निर्णय नं. २१ : क) स्थानिय विरुवा ढुवानि बाहेक खरिदकार्यको दररेट निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

| क्र.स. | विवरण | ईकाई | दर रु. | दर रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------|--------------|---------|---------|--------|
| | | | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | |
| १ | अग्निसो | गाँज | १० | १० | |
| २ | नेपियर | सेट | ८ | ८ | |
| ३ | मुलाटो, पासपलाम, सुम्बा सेटेरिया | गाँज | ६ | ६ | |
| ४ | बास (पोलिथिन थैली) | गोटा | ५० | ५० | |
| ५ | बासको राईजोम | गोटा | ४५० | ४५० | |
| ६ | बाँस कटिड | गोटा | | १६० | |
| ७ | रुद्राक्ष | गोटा | २०० | २०० | |
| ८ | रिठा | गोटा | २० | २० | |
| ९ | टिमुर | गोटा | ८० | ८५ | |
| १० | निगालो | प्रति राईजोम | २० | २२ | |
| ११ | निगालो कटिड | गोटा | ० | १५ | |
| १२ | डाले घाँस | गोटा | ३५ | ३५ | |
| १३ | केटुकी | गोटा | २० | २० | |
| १४ | खर पराल | मुठा | ३० | ३० | |
| १५ | हार्ड उड कटिंग | गोटा | २० | २० | |
| १६ | कुरीलोको बोट | गोटा | ० | ३० | |
| १७ | तेज पात | गोटा | ० | ४० | |
| १८ | बैस कटिड | गोटा | ० | १५ | |
| १९ | लप्सी | गोटा | ० | ७५ | |
| २० | बोधीचित्त | गोटा | ० | ५५० | |
| २१ | श्रीखण्ड | गोटा | ० | ७५० | |
| २२ | लौठसल्ला | गोटा | ० | ४० | |
| २३ | सतुवा | गोटा | ० | ८० | |
| २४ | सेत कचनी | गोटा | ० | २० | |
| २५ | चिराइते | गोटा | ० | २० | |
| २६ | हर्रो/बर्रो | गोटा | ० | ३० | |
| २७ | सुगन्धवाल | गोटा | ० | ४० | |
| २८ | वर | गोट | ० | ४०० | |





भा.व. २०६८/०६९ को जिल्ला दररेट

| | | | | | |
|----|-----------------|------|----|-----|--|
| २९ | पिपल | गोटा | ० | ४०० | |
| ३० | अन्य वन प्रजाती | गोटा | ३० | ३० | |

विरुवा लोड अनलोड प्रति ट्रिप रु २५००

विरुवा ढुवानी ट्याक्टर/ मिनि ट्रक/जिपवाट प्रति कि.मि.

| सि.नं. | विवरण | इकाई | दररेट | | कैफियत |
|--------|------------|------|----------|----------|---------------------------------|
| | | | २०७७/०७८ | २०७८/०७९ | |
| १ | कटिङ्ग | गोटा | ० | ०.७ | अन्य |
| २ | गाना | गोटा | ० | ०.०१ | सामाग्रीहरुसग |
| ३ | नाङ्गो जरा | गोटा | ० | ०.०१ | मिसाउन नमिल्ने, |
| ४ | पोलिथिन | गोटा | ० | ०.०१५ | धेरै खात बनाई राख्न नमिल्ने। |

ख) फलफुल विरुवाको खरिदको हकमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको खण्ड ६९) संख्या २६ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७६।०६।०६ बाट लागु भएको सुचना बमोजिम विभिन्न फलफुल विरुवाको स्वीकृत मुल्य सुचिमा जिल्ला स्तरमा खरिद गरिने विरुवामा २० प्रतिशत थप गर्ने तथा विरुवाको खरिद मुल्यमा १० प्रतिशत प्याकेजिङ्ग चार्ज गर्ने र विदेशी (स्याउ, ओखर), सुन्तलाजात, किवी तथा हाइब्रिड जातका फलफुल र फूलका बेर्नाको हकमा प्रचलित बजार दररेट अनुसार हुनेछ। साथै फलफुल र फूलका बेर्नाको ढुवानी गर्दा जिल्ला दररेटमा ३० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरियो।

ग) विभिन्न फलफुल तथा विरुवाको प्रति घन मिटर खाड्ल खनाई कार्यका लागि रु २०० गर्ने निर्णय गरियो।

नोट :

१. बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु (External Materials) को दररेट कैलाली जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटमा ढुवानी जोडी यस जिल्लाको दररेट कायम गर्ने।

२. कैलालीले नतोकेका बाह्य निर्माण सामाग्रीको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कम्पनी ३ वटा सप्लायर्स/कम्पनीबाट दररेट माग गरी सबै भन्दा न्युन दररेटलाई कायम गर्ने।

जोषात कुमार अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी